v/;k;&IV % eksVj okguksa ij dj

4-1 ys[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2005–06 के अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 53 मामलों में 198.42 करोड़ रुपये की राशि के मोटर वाहनों पर कर, फीस, अर्थदण्ड, जुर्माना आदि के नहीं/कम कर लगाये जाने का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

¼djksM+ #i;s esa½

Øe la-	Js.kh	ekeyksa dh la[;k	jkf'k
1	कर का नहीं/कम लगाया जाना	1	0.02
2	बैठने की क्षमता/आर एल डब्लू के गलत निर्धारण के कारण करों का कम लगाया जाना	3	10.93
3	अर्थदण्ड एवं जुर्माना आरोपित नहीं किया जाना	3	0.16
4	वर्ष 2003–04 के दौरान शीर्ष 0041 के अन्तर्गत जमा सरकारी राजस्व में विसंगति	2	0.02
5	अन्य मामले	44	187.29
	;ksx	53	198-42

वर्ष 2005–06 की अवधि में सम्बन्धित विभाग ने 27 मामलों में अन्तर्निहित 13.99 लाख रुपये का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2005–06 की अवधि में बतलाये गये थे। विभाग ने इसमें से एक मामला में 0.01 लाख रुपये के वसूली की।

दृष्टान्तस्वरूप 32.98 करोड़ रुपये से अन्तर्निहित कर प्रभाव वाले कुछ मामलों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:

4-2 vHkxfrr djk ij fu;=.k dk vHkko

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 में प्रावधानों के अन्तर्गत कर का भुगतान उसी निबन्धन प्राधिकारी को किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबन्धित है। निबंधन प्राधिकारी, वाहन मालिकों को कर भुगतान करने से छूट प्रदान कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि छूट प्राप्त करने के लिये विहित शर्त्तो को वाहन मालिकों द्वारा पूरा कर लिया गया है। निवास स्थान/व्यवसाय स्थल में परिवर्तन के मामले में, वाहन मालिक नये निबन्धन प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते की पूववर्ती निबंधन प्राधिकारी से, जैसा की विहित है, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। वसूली सुनिश्चित करने के लिए, निबन्धन प्राधिकारी द्वारा माँग पत्र निर्गत किया जाना वांछित है और वाहन मालिकों द्वारा जवाब नहीं दिये जाने के मामलों में नीलामवाद की प्रक्रिया आरंभ किया जाना है। देय तिथि से पहले कर का भुगतान नहीं करने पर बकाये कर पर 25 से 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड लगाया जाना है।

आगे समय–समय पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों, जिनमें अद्यतन फरवरी 1999 में निर्गत किया गया था, के अनुसार वाहन को योग्यता प्रमाण पत्र देने के पहले वाहन निरीक्षक को यह सुनिश्चित करना है कि वाहन मालिकों द्वारा कर का अद्यतन भुगतान कर दिया गया हैं

4-2-1 मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के बीच 29 जिला परिवहन कार्यालयों (डी. टी. ओ.)[1] के करारोपण पंजी के प्रविष्टियों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि अप्रैल 2003 से दिसम्बर 2005 के अवधि से सम्बन्धित 1,262 वाहन मालिकों ने 30 करोड़ रुपये के बकाये कर (अर्थदण्ड सहित) का भुगतान नहीं किए थे। अभिलेखों में न तो माँग पत्र निर्गत किये जाने और न ही मालिकों के पते में परिवर्तन होने अथवा कर भुगतान नहीं किए जाने की अवधि में कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किए जाने का उल्लेख पाया गया।

इसे बतलाये जाने के बाद जून 2006 में जिला परिवहन पदाधिकारी, गया ने 88 वाहन मालिकों को 2.12 करोड़ रुपये के माँग पत्र जारी कर दिये थे। अन्य जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा कि कर के वसूली हेतु माँग पत्र जारी कर दिये जायेगें। आगे विभाग द्वारा वसूली प्रतिवेदन सहित उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)।

4-2-2 अप्रैल 2005 एवं मार्च 2006 के बीच नौ जिला परिवहन कार्यालयों[2] के कराधान पंजियों के साथ योग्यता प्रमाण पत्र पंजी में दर्ज प्रविष्टियों के तिर्यक जाँच के दौरान यह पाया गया कि अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बगैर 82 परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये गये थे। परिवहन आयुक्त के आदेशों की अवहेलना के अतिरिक्त चूकों के कारण भी अप्रैल 2001 एवं फरवरी 2006 के बीच के अवधि से संबंधित 1.53 करोड़ रुपये (अर्थदण्ड सहित) के कर की वसूल नहीं हुई थी।

इसे बतलाये जाने के बाद चार जिला परिवहन पदाधिकारियों[3] ने कहा कि मामले को संबंधित मोटर यान निरीक्षक को संदर्भित किये जायेगें। अन्य मामले में उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को अप्रैल 2005 एवं अप्रैल 2006 के बीच प्रतिवेदित किए गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)।

---

[1] *अररिया, आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, सहरसा, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली*

[2] *आरा, ओरंगाबाद, दरभंगा, गया, जहानाबाद, मोतिहारी, नालंदा, समस्तीपुर और सासाराम*

[3] *गया, नालंदा, समस्तीपुर और सासाराम*

4-3 vH;i.k e lfEefyr okguk ij dj l NV@olyh ugh fd;k tkuk

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब कोई मोटर वाहन मालिक एक निश्चित अवधि जो एक समय में छः महीने से अधिक की न हो, अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो उसे वाहन का उपयोग नहीं किये जाने की अवधि के लिए कर भुगतान करने से सक्षम पदाधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जा सकता है बशर्ते की छूट का दावा निबन्धन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन आदि जैसे आवश्यक प्रलेखों को अभ्यर्पित कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो। वाहन मालिक को समय–समय पर सम्बन्धित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष, यदि उनका अवधि का विस्तार हो तो उसे वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। करारोपण पदाधिकारी को महीने में कम से कम एक बार वाहन के पार्किंग स्थल का भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के मामलों के अभिलेख में इस निरीक्षण के बावत ज्ञाप दर्ज करना होगा। यदि उपरोक्त वचन पत्र द्वारा आवरित अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि मोटर वाहन का उपयोग किया जा रहा है अथवा वाहन को उसके वचन पत्र में उल्लिखित स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा जा रहा है तो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह माना जाएगा कि उक्त सम्पूर्ण अवधि के लिए कर का भुगतान किए बगैर उसका उपयोग किया जा रहा है। दिसम्बर 1990 में निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार वाहन का उपयोग नहीं करने सम्बन्धी प्रलेखों का अभ्यर्पण स्वीकार करने से पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा बकाये कर की वसूली कर लिया जाना आवश्यक है।

4-3-1 पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान से संबंधित कराधान पंजी, अभ्यर्पण पंजी एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की संविक्षा से 13 जिला परिवहन कार्यालयों[4] में 125 वाहनों, जो अभ्यर्पण में सन्निहित थे, से संबंधित अर्थदण्ड सहित 1.31 करोड़ रुपये का कर वसूल नहीं किए जाने का पता चला जैसा नीचे वर्णित है :

Øe l-	ftyk ifjogu dk;ky; dk uke	okguk dh l[;k	lfUufgr dj dh vof/k	vfu;ferrk	çHkkfor dj ¼yk[k #i; e½
1	10 जिला परिवहन कार्यालयों[5]	76	फरवरी 2001 से दिसम्बर 2005	वाहन मालिकों से नये वचन पत्र के बगैर छः महीने से अधिक अवधि के लिए वाहन अर्भ्यपण में रखे गये थे।	56.23
2	पाँच जिला परिवहन कार्यालय[6]	31	जनवरी 2002 से मार्च 2005	अद्यतन कर की वसूली किए बिना अभ्यर्पण स्वीकार किया जाना	53.92
3	सासाराम	02	अगस्त 2002 से अप्रैल 2005	विर्निदिष्ट स्थानों पर वाहन का नहीं पाया जाना	10.43
4	छपरा	07	मार्च 2004 से अक्टूबर 2005	भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने एवं वांछित अभिलेखों के अभ्यर्पित किए बगैर अभ्यर्पण स्वीकार किया गया।	2.16
5	सीवान	09	अप्रैल 2002 से सितम्बर	एक मामले में वाहन पार्किंग स्थल में नहीं पाया	8.67

[4] *बेगूसराय, छपरा, गया, खगड़िया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली।*

[5] *बेगूसराय, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी और वैशाली।*

[6] *गया, मोतिहारी, नालंदा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी।*

Øe la-	ftyk ifjogu dk;kZy; dk uke	okguksa dh la[;k	lfUufgr dj dh vof/k	vfu;ferrk	çHkkfor dj ¼yk[k #i;s eas½
			2005	गया। चार मामलों में अवधि विस्तार प्रस्तुत नहीं किये गये थे। तीन मामलों में अभ्यर्पण की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं थे। एक मामला में टैक्स टोकन के साथ–साथ निबंधन पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये थे।	
	dqy	125			131-41

4-3-2 इस प्रकार जिला परिवहन कार्यालय, बेतिया के अभिलेख से पुनः ज्ञात हुआ कि फरवरी 2003 एवं अक्टूबर 2005 के अवधि के लिए आठ वाहन मालिकों ने जिला परिवहन पदाधिकारी को अभिलेख अभ्यर्पण के पश्चात कर से छुट हेतु आवेदन दिया था। यद्यपि करारोपण पदाधिकारी छुट की अवधि के लिए उनमें से किसी एक भी वाहन के पार्किंग स्थल का भौतिक सत्यापन करने में विफल रहे जबकि अभ्यर्पण अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी आगे की अवधि हेतु कर की वसूली के पश्चात इन सभी वाहनों को पथ पर विचरन हेतु अनुमति दिये गये थे। इस प्रकार वाहनों के पार्किंग स्थल का भौतिक सत्यापन किये बगैर ही इन मामलों में 9.33 लाख रुपये की छूट प्रदान की गई थी, जो अनियमित था।

मामले विभाग / सरकार को मार्च 2005 एवं अप्रैल 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

4-4 jktLo dk foyac ls gLrkukarj.k

बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेनदेन को बिना विलम्ब किये खाते में लाया जाना है और राशि को सरकारी खाते में जमा करना है। राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा मार्च 1996 एवं सितम्बर 2002 में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्गत अनुदेशों के अनुसार, प्राधिकृत बैंकों द्वारा प्रत्येक महीने में संग्रहित फीस एवं कर की राशि को अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक सरकारी खाते में जमा हेतु हस्तांतरित करना है। आगे मार्च महीने में जमा राशि को कोषागार चालान द्वारा उसी महीने की 31 मार्च तक सरकारी खाते में हस्तांतरित करना है। अक्टूबर 2002 एवं फरवरी 2003 में राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को अनुदेशित किया था कि राजस्व को समय पर सरकारी खाते में जमा कराने को सुनिश्चित करें।

तीन जिला परिवहन कार्यालयों[7] के मासिक प्राप्ति रसीद, राजस्व विवरणी एवं बैंक समाधान विवरणी की संवीक्षा के दौरान जून 2005 में यह पाया गया कि जुलाई 2003 एवं अप्रैल 2005 के अवधि के मध्य प्राधिकृत बैंकों द्वारा फीस एवं कर के रूप में जमा ली गई 25.61 करोड़ रुपये को विभागीय प्राधिकारी द्वारा एक महीने से सात महीने 22 दिन के विलम्ब से सरकारी खाते में जमा किया गया था। इस हेतु राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न आदेश निर्गत किये गये थे फिर भी राजस्व को समय पर सरकारी खाते में जमा कराने हेतु कोई आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कार्यरत नहीं था।

इसे बतलाये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी ने जून 2005 एवं फरवरी 2006 में कहा कि राजस्व को समय पर सरकारी खाते में जमा करने हेतु कार्रवाई की जायेगी।

[7] *गोपालगंज, पटना एवं सीवान*

मामले सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

4-5 vfrjä fuc/ku Qhl dk mnxg.k de@ugh fd;k tkuk

बिहार मोटर वाहन कर नियमावली 1992 के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक क्रमवार निबंधन संख्या से हट कर पसंदीदा निबंधन संख्या हेतु आवेदन देता है तो उससे अतिरिक्त फीस के रूप में 100 रुपये उद्ग्रहित किया जायेगा। जून 2003 में बिहार सरकार ने अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक वाहन के लिए अतिरिक्त शुल्क की दर को संशोधित कर 5,000 रुपये कर दिया था। अधिसूचना में यह भी विहित था कि विशेष निबंधन संख्या के लिए अतिरिक्त फीस की राषि 5,000 रुपये और 25,000 रुपये के बीच होगा।

फरवरी और मार्च 2006 के बीच जिला परिवहन कार्यालय, भभुआ एवं सीवान मे पाया गया कि 13 जून 2003 से प्रभावी संशोधित दर के बदले 147 वाहनों के लिए अतिरिक्त निबंधन फीस या तो वसूल नहीं किये गये अथवा पूर्व संशोधित दर पर किए गए। इसके फलस्वरूप जून 2003 एवं अप्रैल 2005 के बीच के अवधि के लिए अतिरिक्त निबंधन शुल्क 7.46 लाख रुपये की वसूली कम/नहीं की गई।

इसे बतलाये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी, भभुआ ने मार्च 2006 में कहा कि दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा था। जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, सीवान ने फरवरी 2006 में कहा कि बकाये की वसूली हेतु वाहन मालिकों को सूचना दी जाएगी। वसूली से संबंधित प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)।

4-6 VDl Vkdu dk vfu;fer fuxeu

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो वाहनों के लिए विहित कर का भुगतान करता है को करारोपण अधिकारी इसके लिए प्राप्ति रसीद एवं टैक्स टोकन उपलब्ध कराएगा। कर प्राप्ति रसीद एवं टैक्स टोकन निर्गत करने से पहले करारोपण अधिकारी खुद को संतुष्ट करेगा कि कर के भुगतित राशि, अधिनियम के अनुसूची I एवं II में विनिर्दिष्ट दर पर भुगतेय राशि के बराबर है। वर्ष या तिमाही के प्रारंभ के 15 दिनों के अंदर कर का भुगतान में विफलता अर्थदण्ड के आरोपण को आकर्षित करता है।

जनवरी और फरवरी 2006 के बीच तीन जिला परिहवन कार्यालयों[8] में यह पाया गया कि 22 परिवहन वाहन के मालिकों ने सही दर जो 4,790 रुपये एवं 11,000 रुपये के बीच था के बदले 2,035 एवं 9,690 रुपये के बीच कर को जमा किया था जिसके फलस्वरूप 5.89 लाख रुपये का कम कर वसूल हुआ। यद्यपि इस मामले में कर का भुगतान विनिर्दिष्ट दरों से कम पर हुआ था, जिला परिवहन कार्यालयों ने शेष कर वसूल किए बगैर अनियमित रूप से टैक्स टोकन निर्गत किए थे। इसके फलस्वरूप 3.09 लाख रुपये के कर की कम वसूली तथा वास्तविक कर के भुगतान किए बगैर वाहन का पथ पर चलना जारी था। इसके अतिरिक्त चूककर्त्ता द्वारा शेष कर का भुगतान करने में विफल होने से अर्थदण्ड के रूप में 2.80 लाख रुपये उद्ग्रहण योग्य था।

[8] *छपरा, गोपालगंज और सीवान*

इसे बतलाये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए जनवरी एवं फरवरी 2006 में कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006)

मामले सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।